जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-161

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 286055 दिनांक 06/03/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Hanuman Saini S/o Kalu Ram Saini	श्री कालु राम सैनी पुत्र श्री घासीराम सैनी	100	181.05 SQ. YARD	Cooperative	PANCHVATI COLONY Sector/Block-E	Name Transfer	आवेदक श्री हनुमान सैनी पुत्र श्री कालु राम सैनी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर मित्र गृ.नि.स.स की योजना पंचवटी कॉलोनी के भूखण्ड संख्या ई-100 क्षेत्रफल 181.05 व0ग0 का नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। मित्र गृ.नि.स.स की योजना पंचवटी कॉलोनी के भूखण्ड संख्या ई-100 क्षेत्रफल 181.05 व0ग0 का पट्टा श्री कालु राम सैनी पुत्र श्री घासीराम सैनी के नाम जारी किया गया। आवेदक द्वारा अपलोड दस्तावेजात अनुसार दिनांक 29.05.2025 को लीजधारक श्री

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Sharma
Date: 2026.03.13 10:53:19
Designation :Deputy Commissioner Zone 08
Location:Jaipur Development Authority Jaipur

								कालु राम सैनी पुत्र श्री घासीराम सैनी की मृत्यु होने पर इनके विधिक वारिसान श्रीमती दुर्गा देवी, श्रीमती सीता देवी, श्रीमती नाडी देवी, श्रीमती झमरा देवी, श्रीमती ममता देवी, श्रीमती संतोष देवी, श्रीमती सुशीला देवी द्वारा आवेदक श्री हनुमान सैनी पुत्र श्री कालु राम सैनी के पक्ष में दिनांक 22.12.2025 को रजि0 हकत्याग किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपिः-

1. Hanuman Saini S/o Kalu Ram Saini को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाषित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) मे प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें |

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Sharma
Date: 2026.03.13 10:53:19
Designation :Deputy Commissioner, (Zone 08)
Location:Jaipur Development Authority Jaipur